

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड,



श्रमिक ठेके हेतु ई-निविदा प्रपत्र

- | |
|---|
| 1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 06.06.2022 अपराहः 2.00 बजे तक |
| 2. बिड सिक्योरिटी, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक 06.06.2022 सांय 3.00 बजे तक |
| 3. तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक 06.06.2022 सांय 4.00 बजे तक |

पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल, जनपथ, जयपुर-302005
टेलीफोन नं. : 91-141-2227944, 2227514 ई-मेल rajseedsproc@gmail.com

अनुक्रमणिका

| क्र. सं | विवरण | पेज.नं. |
|--------------|--|---------|
| 1. | बोली आमंत्रण सूचना | 03-04 |
| भाग-अ | | |
| 2. | अनुभाग.1 निविदादाता हेतु दिशा निर्देश | 06-13 |
| 3. | अनुभाग.2 ठेके हेतु सामान्य नियम व शर्तें | 14-19 |
| 4. | अनुभाग.3 निविदा प्रपत्र | 20-21 |
| 5. | Annexure-A Compliance with Code of Integrity And no conflict of interest. | 22-23 |
| 6. | Annexure-B Declaration by the bidder Regarding qualification. | 24 |
| 7. | Annexure-C Grievance redressal during Procurement process. | 25-27 |
| 8. | Annexure-D Additional conditions of contract. | 28-29 |
| 9. | Annexure-E Format for Declaration & Undertaking | 30 |
| 10. | Annexure-F Annual Turn-over Statement | 31 |
| 11. | Annexure-G अनुबन्ध पत्र का प्रारूप | 32 |
| 12. | संलग्नकों की चैक लिस्ट | 33-34 |
| भाग-ब | | |
| 13. | श्रमिक कार्यों हेतु निर्धारित बी.एस.आर. | 36-39 |
| भाग-स | | |
| 14. | इकाईयों के नाम व पते | 41-42 |

62

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

F3() / राजसीड्स / विधायन / 2022-23 / 3781

दिनांक 17.05.22

बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार विगत पांच वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बीज विधायन कार्य अथवा लोडिंग-अनलोडिंग कार्य करने का अनुभव रखने वाले श्रमिक ठेकेदारों से वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 हेतु श्रमिक कार्य करवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदायें दिनांक 06.06.2022 को अपराह्न: 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं।

| S.No. | Name of Regional Office | Estimated cost (in Lakh) | Bid security (Rs.) | Bid fee (Rs.) including GST | Processing fee (Rs.) including GST | Minimum average Annual Turn-over as per Annexure-F (Rs. Lakh) |
|-------|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर की अधीनस्थ इकाईयां | 321.00 | 642000 | 2360 | 1180 | 160.50 |
| 2. | क्षेत्रीय कार्यालय, मण्डौर की अधीनस्थ इकाईयां | 218.50 | 437000 | 2360 | 1180 | 109.25 |
| 3. | क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीगंगानगर की अधीनस्थ इकाईयां | 443.00 | 886000 | 2360 | 1180 | 221.50 |
| 4. | क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर की अधीनस्थ इकाईयां | 144.00 | 288000 | 2360 | 1180 | 72.00 |
| 5. | क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा की अधीनस्थ इकाईयां | 270.00 | 540000 | 2360 | 1180 | 135.00 |
| 6. | क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्गापुरा की अधीनस्थ इकाईयां | 195.00 | 390000 | 2360 | 1180 | 97.50 |

- यह निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाइट, SPP Portal राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाइट www.rajseeds.org, एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए ई-निविदा प्रपत्र इस वेबसाइट पर दिनांक 06.06.2022 को अपराह्न: 2.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। बिड सिक्योरिटी व निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का

डिमान्ड-ड्राफ्ट MD,RISL,जयपुर के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं यह डिमान्ड-ड्राफ्ट निगम मुख्यालय पर दिनांक 06.06.2022 को सायं 3.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 06.06.2022 को सायं 4.00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी एवं इस हेतु तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जावेगी।

2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
3. निर्धारित बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. उक्त ई-निविदा केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
5. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के श्रमिक ठेके हेतु पृथक-2 निविदा प्रपत्र भरना अनिवार्य है।
6. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
7. निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि अनरिफण्डेबल होगी।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था का होगा।
9. तकनीकी निविदा में वित्तीय दरें प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
10. श्रमिक कार्य हेतु इच्छुक निविदादाता निविदा सूचना में दी गई सूचना के आधार पर बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निगम मुख्यालय पर जमा करवा सकते हैं अथवा इच्छुक निविदादाता उक्त समस्त राशि निगम के खाते में ऑनलाईन भी जमा करवा सकते हैं। ऑनलाईन राशि जमा कराने पर जमा कराई गई राशि की रसीद ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के माध्यम से तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन राशि जमा करवाने के लिए निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार है :-

| | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | संस्था का नाम:- | राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर |
| 2 | बैंक का नाम:- | स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया |
| 3 | खाता संख्या :- | 51052136667 |
| 4 | आई.एफ.एस.सी. कोड:- | SBIN0031781 |
| 5 | ब्रांच का नाम :- | कॉर्मिसियल ब्रांच, जयपुर। |


 (जसवंत सिंह)
 प्रबन्ध निदेशक
 DIN 08383856

भाग—अ

निविदादाता हेतु दिशा-निर्देश

1. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व, राज्य में खरीद प्रक्रिया हेतु लागू कानून, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, जो राज्य प्रोक्यूरमेंट पार्टल की वेबसाईड www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, को भली भांति पढ़/समझ लिया जावे। किसी भी समय इन अधिनियम एवं नियमों तथा बोली दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाया जाता है तो, अधिनियम एवं नियम के प्रावधान मान्य होगा।
2. स्कोप ऑफ बिड :- उपापन संस्था द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में दिये गये कार्य के लिए ई-प्राक्वेरमेंट के माध्यम से ऑन-लाईन बोली (निविदाएँ) आमंत्रित की जाती है।
3. सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integity) :- कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानों के तहत निर्धारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, बोलीदाता को बिड डोक्यूमेंट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-“अ” में कोड ऑफ इन्ट्रिप्रेटी की पालना करने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन:- बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11 (3) और 46 के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
5. पात्र बोलीदाता (Eligible Bidder) :-
 - (A) एक बोलीदाता एक व्यक्ति, निजी संस्था, सरकार के स्वामित्व वाली इकाईयों/संस्था, पात्र हो सकते हैं।
 - (B) अधिनियम की धारा 46 के अधीन किसी भी संस्था द्वारा डिबार किया हुआ कोई भी बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यदि उसके विरुद्ध या उसके द्वारा निविदा सम्बन्धी किसी भी अनियमितता, जाँच या न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है या वह दोषसिद्ध हो चुका हो तो ऐसा निविदादाता आरम्भत निविदा प्रस्तुत करने हेतु अयोग्य माना जावेगा और बिड में भाग नहीं ले सकेगा। यदि यह तथ्य बिड प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय उपापन संस्था के संज्ञान में आता है तो उसी स्तर पर उसकी बिड निरस्त कर दी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता के विरुद्ध RTPP एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (C) उपापन संस्था द्वारा मांगे जाने पर, बोलीदाता द्वारा निरन्तर संतोषजनक पात्रता बनाएँ रखने के साक्ष्य प्रदान करेगा।
 - (D) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यालय हेतु केवल एक ही बोली प्रस्तुत की जावे।

- (E) जो बोली दाता GST IN में में रजिस्टर्ड नहीं है, बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। बिना GST रजिस्ट्रेशन के बोली रिजक्ट कर दी जायेगी।
- (F) बोलीदाता द्वारा फर्म के संविधान में उपापन संस्था की पूर्वानुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

नोट :- यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र बिड प्रस्तुत करने की दिनांक को अवधिपार हो गया है और फर्म द्वारा नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है तो नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित :- बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्तें, तकनिकी बिड, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, एवं जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि, समस्त सम्मिलित होंगे।
7. बोली दस्तावेजों का विक्रय :- बोली दस्तावेजों का विक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, बिड प्राप्त करने के दिन तक, www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करने पर बिड डोक्यूमेन्ट फीस का भुगतान डी.डी. द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसे ई-प्रोक्यूरेमेन्ट पर भी तकनिकी बिड के साथ अपलोड करना होगा।
- i. बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नहीं कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- ii. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बिड दस्तावेजों के निर्देशों, फार्म, शर्तों, को भली भाँति रूप से पढ़ ले/समझ ले, उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाएँ, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
8. बोली दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण :- बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि उपापन संस्था द्वारा माल या सेवाओं की खरीद हेतु जारी किये गये बोली दस्तावेजों की शर्तों, बी.एस.आर. दरों को भलीभाँति पढ़ ले/समझ ले, बोलीदाता को किसी भी शर्त, बी.एस.आर. दरों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का शक (Doubt) हो तो, बोली प्रस्तुत करने से पहले उपापन संस्था से लिखित में क्लिरीफिकेशन माँग सकेगा। ऐसा क्लिरीफिकेशन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। उपापन संस्था द्वारा ऐसा क्लिरीफिकेशन प्राप्त होने पर 05 दिवस में बोलीदाता को स्पष्टीकरण जारी करेगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण की प्रति समस्त वीडर को फोरवर्ड की जावेगी तथा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण का बोली दस्तावेजों में भी आवश्यक रूप से संशोधन किया जाएगा।
9. बोलीदाता द्वारा तकनिकी एवं वित्तीय बिड बोली दस्तावेजों में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जावें। तकनिकी बिड के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावें। बिड फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. बोली दस्तावेजों में संशोधन:-

- (i) यदि आवश्यक हो तो, क्रेता अधिकारी बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (SUO Moto) बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन बिड दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।
- (ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजों का हिस्सा होगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।
11. बिड की लागत:- बोली तैयार करने हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
12. बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज:- बोली दो लिफाफे में (तकनिकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत की जावेगी।
- तकनिकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगा:-
- पूर्ण भर हुआ तकनिकी बिड फार्म।
 - सम्पूर्ण बोली दस्तावेज हस्ताक्षर किया हुआ।
 - भविष्य निधि विभाग रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
 - ई.एस.आई. पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 - बिड सिक्योरिटी, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान स्वरूप डिमाण्ड-ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
 - MSME प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, यदि लागू हो तो।
 - बिड दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकृत पत्र।
 - GST, PAN की छायाप्रति, ऑफिस कार्यालय का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी।
 - निविदादाता को विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बीज विधायन कार्य अथवा लोडिंग-अनलोडिंग कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है जिसकी राशि निविदा की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
 - तकनिकी क्वालिफिकेशन हेतु निर्धारित सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र।
 - बोलीदाता का सीए द्वारा प्रमाणित औसत वार्षिक कारोबार (Average annual turnover) (Annexure-F) एनआईटी के कॉलम 7 में उल्लेखित के बराबर या अधिक होना चाहिए यदि फर्म का औसत टर्नओवर संबंधित मद के लिए एनआईटी के कॉलम 7 में उल्लेखित राशि से कम हो तो बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
 - निविदा के साथ गत 3 वर्षों की आई.टी.आर. की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा।
 - बोलीदाता का कोड ऑफ इस्ट्रेग्रेटी का घोषणा पत्र (अण्डरटेकिंग)।

(xiv) 100 रू. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा डीबार नहीं है।

(xv) निविदादाता फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी दस्तावेजों की छाया प्रति।

(xvi) बोलीदाता की अर्हता की घोषणा (एनेक्जर-B)।

(xvii) उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवरण प्रक्रिया (एनेक्जर-सी)।

(xviii) अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्तें (एनेक्जर-D)

13. बिड प्राईज और डिस्काउण्ट:-

i. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राईज बिड बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिडर द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नहीं किया जावे, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावे। बोलीदाता द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किये जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बिडर स्वयं जिम्मेदार होगा।

ii. यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बेसिक प्राईज कॉलम भरा नहीं जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी।

iii. तकनीकी निविदा में वित्तीय दरे प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

iv. बिड में प्रस्तुत दर समस्त करो सहित प्रस्तुत की जावे। GST, यदि लागू हो, अलग से दिया जावे। प्रस्तुत की गई दरे अनुबन्ध अवधि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए फिक्स (निर्धारित) होगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जीएसटी अलग से देय होने पर राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरे अनुसार देय होगी।

14. बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना :- बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबन्धों एवं शर्तों की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा। बिना हस्ताक्षर किये प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

15. स्वीकृत निविदा की अवधि :- निविदा में स्वीकृत की गई दरे वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 तक वैध होगी। आवश्यकता होने पर अनुबन्ध की अवधि RTTP नियमों के प्रावधान अनुसार बढ़ायी जा सकेगी। फर्म/बोलीदाता बढ़ायी गयी अवधि में श्रमिक कार्य करने हेतु बाध्य होंगे।

16. बोलियों की वैधता अवधि :- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से न्यूनतम 90 दिवस के लिए विधिमान्य होगा। 90 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की गई बिड निरस्त कर दी जावेगी। आवश्यकता होने पर उपापन संस्था द्वारा निवेदन करने पर बिड की वैधता अवधि 90 दिवस से अधिक बिडर की सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

17. बोली प्रतिभूति (Bid Security) :-

(i) बोलीदाता द्वारा बोली प्रतिभूति निविदा की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत राशि बोली आमंत्रण सूचना के कॉलम संख्या-4 के अनुसार होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में बोली के अनुमानित लागत का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूप उद्योगों की दशा में बोली अनुमानित लागत के 1 प्रतिशत होगी। यदि किसी निविदादाता द्वारा बोली

प्रतिभूति MSME की दर से प्रस्तुत की जाती है तो फर्म MSME प्रमाण-पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। भौतिक रूप से डिमाण्ड जमा कराने पर डी0डी0 के साथ MSME प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- (ii) बोलीदाता को बिड सिक्योरिटी राशि का डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम बनवाकर तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- (iii) बोली प्रतिभूति बैंकर चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट और भारत में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी या ई-ग्रास के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
- (iv) बोली दाता द्वारा अन्य बोलियों के लिए प्रस्तुत बोली प्रतिभूति समायोजित नहीं की जायेगी। लेकिन रि-टेण्डर करने के फलस्वरूप पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति स्वीकार की जा सकेगी। इस हेतु बोलीदाता को पूर्व में प्रस्तुत बिड सिक्यूरिटी का सबुत निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (v) बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत बोली प्रतिभूति जारी करता बैंक से सत्यापित कराई जावेगी।
- (vi) सफल बोलीदाता के मामले में, बोली प्रतिभूति राशि, कार्य सम्पादन प्रतिभूति में समायोजित की जा सकेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा कराई जाने पर बोली प्रतिभूति वापस लौटा दी जायेगी।
- (vii) बोली प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

18. **बोली प्रतिभूति वापस लौटाना:-** असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात कर दिया जायेगा।

19. **बोली प्रतिभूति को जब (Forfeited) किया जाना**

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूति निम्न मामलों में जब्त कर ली जायेगी :-

- (i) जब बोली लगाने वाला बोली खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत (Withdrawn) या उपान्तरित (मोडीफाई) करता है; या
- (ii) जब बोली लगाने वाला कार्यादेश/स्वीकृत पत्र जारी करने के 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नहीं करता है; या
- (iii) जब बोली लगाने वाला निर्धारित अवधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (बिड परफोरमेन्स सिक्यूरिटी) जमा नहीं कराता है; या
- (iv) जब बोली लगाने वाला निर्धारित समय के भीतर कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहता है; या
- (v) यदि बोलीदाता द्वारा इन अधिनियम और नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने के लिए विहित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध को भंग किया जाता है; या
- (vi) यदि बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों में प्रस्तुत डोक्यूमेन्ट किसी भी समय मिथ्या (False) डोक्यूमेन्टस पाया जाता है; या

(vii) यदि बोलीदाता एनेक्जर-“डी” के अनुसार संशोधन (Correction) को स्वीकार नहीं करता है।

20. बोली प्रस्तुत करना एवं बोली खोलना :-

- (i) बोलीदाताओं द्वारा बोली राज्य प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।
- (ii) बोलदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-प्राक्यूरमेन्ट द्वारा बिड प्रस्तुत करने की स्थिति में बोलीदाता बिड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम समय से पूर्व ही ई-पोर्टल पर अपनी बिड अपलोड करें। अन्तिम समय में किसी कारण से बिड अपलोड नहीं कर पाने के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (iii) बोलीदाता द्वारा तकनिकी बोली एवं वित्तीय बोली पृथक-पृथक प्रस्तुत की जावेगी।
21. **बोलियों का प्रत्याहरण (Withdrawal) :-** किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपांतरण बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

22. बिड खोलना (Bid Opening):-

- (i) निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित उपापन समिति द्वारा बिड ओपन करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर केवल तकनिकी बिड खोली जावेगी। उपस्थित निविदादाताओं की एक सूची तैयार कर उस पर उनके हस्ताक्षर कराये जायेंगे।
- (ii) तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। उपापन संस्था द्वारा तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा।

23. नेगोशिएसन (बातचीत):-

- (i) एकल स्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन पद्धति के सिवाय, जहाँ तक सम्भव हो, नेगोशिएसन नहीं किया जायेगा; तथापि
- (ii) नेगोशिएसन केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से निम्नलिखित परिस्थितियाँ में किया जा सकेगा :-
- (क) जब बोली लगाने वालों ने समूह कीमते (रिंग प्राईज/पूल करके) कोट की गई हो या
- (ख) जब कोट की गई दरे और बाजार दरों में बहुत अधिक अन्तर हो।
- (iii) बोली मूल्यांकन समिति को, कारण को अपलिखित करते हुये, नेगोशिएसन करने की पूर्ण शक्तियाँ होगी।
- (iv) नेगोशिएसन के लिए न्यूनतम बोलीदाता को लिखित में सूचित किया जाएगा। इस हेतु न्यूनतम सात दिवस का समय दिया जाएगा। अति आवश्यक होने पर इस अवधि को कम किया जा सकेगा, बशर्ते बोलीदाता को सूचना मिल जानी चाहिए एवं इसकी सहमति बिडर से भी ले ली गई हो।

(v) यदि नेगोशिएसन उपरान्त भी संतोषप्रद दरे प्राप्त नहीं होती है तो मूल्यांकन समिति न्यूनतम निविदा दाता को लिखित में काउण्टर ऑफर दे सकेगी, यदि बोलीदाता द्वारा काउण्टर ऑफर स्वीकार नहीं किया जाता है तो द्वितीय (L₂) तृतीया (L₃)या इस प्रकार समस्त को काउण्टर ऑफर दिया जा सकेगा।

(vi) यदि काउण्टर ऑफर के उपरान्त भी मूल्यांकन समिति दरों को अधिक होना स्वीकार करती है तो रि-टेण्डर आमन्त्रित किया जा सकेगा।

24. किसी भी बोली या निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार :- निविदा स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली या सभी बोलियों को अथवा सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया को अस्वीकार करने/निरस्त करने का उपापन संस्था को सम्पूर्ण अधिकार होगा।

25. सफल बोली और निविदा स्वीकृति :-

(i) मूल्यांकन समिति की अभिशंषा/निविदा की शर्तों, आदि के आधार पर उपापन संस्था बोली स्वीकार/अस्वीकार करेगा।

(ii) उपापन संस्था बोली स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली की कीमत उचित और आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप है।

(iii) बोली तभी सफल मानी जावेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(iv) उपापन संस्था, सफल बोलीदाता को लिखित में, बोली की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, सूचना देगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है।

26. अनुबन्ध पत्र (Agreement) निष्पादित करना :-

(i) सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस में में 500/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुलग्न G में अनुबन्ध पत्र का निष्पादन करेगा। स्टाम्प पेपर की कीमत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी।

(ii) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादन करने या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो उपापन संस्था द्वारा बोलीदाता की बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगी एवं इन अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकेगी।

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Bid Performance Security) :-

(i) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि कार्य आदेश मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगी।

(ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जा सकेगी :-

(क) ई-ग्रास के माध्यम से

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक

(ग) किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारन्टी। उपापन संस्था द्वारा प्राप्त बैंक गारन्टी को जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(घ) किसी बैंक की नियत जमा रसीद (एफ.डी.आर.) इसके लिए बैंक से अण्डरटेकिंग भी ली जायेगी।

28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति को जब्त (Forfited) करना :-

(क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पूर्ण या आंशिक (पार्टली) निम्न मामलो में जब्त कर ली जावेगी :-

- (i) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या
- (ii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में श्रमिक कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या
- (iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में श्रमिक कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या
- (iv) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (v) जब बोलीदाता किसी अन्य अनुबन्ध के तहत देय राशि उपापन संस्था को भुगतान करने में विफल रहता है; या
- (vi) यदि बोलीदाता इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत बोली दस्तावेजों में बोलीदाताओं के लिए निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है।

नोट :- उपापन संस्था द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त करने से पूर्व बोलीदाता को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त (पर्याप्त) समय दिया जायेगा। उपापन संस्था का निर्णय अन्तिम होगा, जो बोलीदाता को मान्य होगा।

29. निविदा प्रक्रिया के दौरान शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया :- बोलीदाता निविदा प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शिकायत इस अधिनियम एवं नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रथम अपील अधिकारी अपने प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव (बजट) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को अपील कर सकेगा।
30. अपील:- RTPP अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुये, यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत जारी नियमों के उल्लंघन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को निर्णय की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्म अनुलग्न-में निर्धारित फीस की राशि के साथ अपील दाखिल कर सकेगा।
31. निविदा प्रपत्र के भाग-अ के अनुभाग-3 के अनुरूप निविदा भरी जावे। निविदादाता द्वारा सभी वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
32. टेंडर में सभी वैधानिक औपचारिकताएँ GST, आयकर, प्रोविडेंट फण्ड, ई.एस.आई. एवं श्रम विभाग (यदि लागू हो) के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।
33. निविदा भाग 'अ' के अनुभाग-III के अनुरूप ही प्रस्तुत की जावे यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है।
34. मिथ्या दस्तावेज:- यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी समय मिथ्या (False) पाये जाते हैं तो निविदादाता की बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगी, निविदादाता को डिबार किया जा सकेगा एवं दोनों भी की जा सकेगी तथा निविदादाता की बिड किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी।
35. राजस्थान लाक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के समस्त प्रावधान तथा वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया हेतु समय-समय पर जारी परिपत्र/नोटिफिकेशन लागू होंगे।

श्रमिक ठेके के नियम व शर्तें

1. श्रमिक ठेका वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिये मान्य होगा ।
2. **अनुबन्ध (Agreement) निष्पादित करना :-** उपापन सस्था एवं सफल बोलीदाता के बीच एक अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जावेगा, बोली दस्तावेज में उल्लेखित शर्तें, बोली आमंत्रण सूचना, बिड प्रोफार्मा, बोली दस्तावेजों में सशोधन, यदि कोई हो, अनुबन्ध पत्र का हिस्सा/भाग होंगे। (Annexure-G)
3. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of integrity) :-**बोलीदाता द्वारा इस अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सत्यनिष्ठा संहिता की सख्ती से पालन की जावेगी।
 - (i) सप्लायर द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उपापन सस्था के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत,ईनाम,उपहार या किसी भी प्रकार की सामग्री देने की पेशकश नहीं की जावेगी।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या निविदा प्रक्रिया के दौरान अनुबन्ध के सतोषप्रद ढंग से सम्पादन करने से बचने के लिए मिसरिप्रजेक्शन द्वारा गुमराह करने का प्रयास नहीं करेगा।
 - (iii) बोलीदाता द्वारा निविदा प्रक्रिया के समय प्रति स्पर्धात्मक दरें प्राप्ति को रोकने के उद्देश्य से आपसी साँठ-गाँठ एवं पूल नहीं करेगा
 - (iv) बोलीदाता द्वारा उपापन सस्था एवं बोलीदाता के बीच साझा की गई किसी भी सूचना को अनुचित लाभ हासिल करने हेतु दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।
 - (v) बोलीदाता द्वारा निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पार्टी को नुकसान पहुँचाने या ऐसा करने की धमकी देने सम्बन्धी कार्य नहीं करेगा।
 - (vi) बोलीदाता निविदा प्रक्रिया और अनुबंध के सफल संचालन हेतु किसी भी जाँच एवं लेखा परीक्षा हेतु बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
 - (vii) बोलीदाता द्वारा उसे गत तीन वर्षों में राज्य सरकार/संस्था द्वारा डीबार किये जाने से सम्बन्धी सूचनाओं का खुलासा करेगा।
 - (viii) बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर (दुषित, धोखाधड़ी आकामक या कपटपूर्ण व्यवहार इत्यादि के लिए) उपापन संस्था द्वारा इस अधिनियम के अध्याय IV एवं धारा 11(3) तथा 46 के तहत बोलीदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
 - (ix) उपापन सस्था द्वारा आवश्यकता होने पर निविदादाता के रिकॉर्ड एवं लेखों की जाँच करने या लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट कराई जा सकेगी। इसके लिए निविदादाता द्वारा उपापन संस्था को अनुमति दिया जाना आवश्यक होगा।
4. **नोटिस :-** एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को किसी भी प्रकार का नोटिस लिखित में दिया जावेगा, नोटिस डिलीवर्ड होने की दिनांक से या नोटिस में प्रभावी होने की दिनांक अंकित होने पर, जो भी बाद में हो, प्रभावी माना जावेगा।
5. **अप्रत्याशित घटना घटित होने पर (Force Majeure) :-**
 - (i) यदि कोई अप्रत्याशित घटना जो सफल निविदादाता के नियंत्रण से बाहर है एवं कार्य करने में सफल निविदादाता की लापरवाही के कारण विलम्ब नहीं हुआ है। ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने के कारण अनुबन्ध के तहत कार्य करने में विफल रहने पर निविदादाता की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसी घटनाएँ में संप्रभु क्षमता, वार/क्रान्ति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबन्ध इत्यादि शामिल होंगे।।

414

- (ii) सफल निविदादाता द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त इस तरह के हालतो, कारणों एवं उसके प्रभावों की लिखित में उपापन संस्था को सूचना देगा, जब तक उपापन संस्था द्वारा लिखित में कोई निर्देश नहीं दिये गये हो सफल निविदादाता तब तक अपने दायित्वो की फरफोरमेन्स जारी रखेगा एवं वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करेगा।
6. **कॉन्ट्रैक्ट को सबलैट करना:-** सप्लायर द्वारा बिना उपापन संस्था की पूर्वानुमति के कॉन्ट्रैक्ट सबलैट नहीं किया जावेगा।
 7. **बोलीदाता की जिम्मेदारी :-** अनुबन्ध/कार्यादेश के अनुसार सम्पूर्ण श्रमिक कार्य करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
 8. निविदादाता के पास पी.एफ.कोड, ई.एस.आई पंजीयन (यदि लागू हो) , GST का पंजीयन, श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के धारा-12 (1)/12 (2) के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। Workman compensation policy कार्यादेश के 15 दिन में पंजीयन करवाकर पंजीयन की प्रति उपलब्ध कराना होगा। इसके अभाव में कोई भुगतान नहीं होगा।
 9. ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 100/- रु० के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को किसी भी विभाग/संस्था द्वारा डीबार/काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
 10. निविदादाता को विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बीज विधायन कार्य अथवा लोडिंग-अनलोडिंग कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, जिसकी राशि निविदा की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
 11. बोलीदाता का औसत वार्षिक कारोबार (Average annual turnover) (Annexure-F) एनआईटी के कॉलम 7 में उल्लेखित के बराबर या अधिक होना चाहिए यदि फर्म का औसत टर्नओवर संबंधित मद के लिए एनआईटी के कॉलम 7 में उल्लेखित राशि से कम हो तो बोली स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 12. निविदा के साथ गत 3 वर्षों की आई.टी.आर. की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा।
 13. क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कार्यरत इकाईयों पर श्रमिक ठेकेदार द्वारा किये गये सभी श्रमिक कार्यों के बिलों का भुगतान मुख्यालय द्वारा किया जावेगा।
 14. श्रमिक ठेकेदार को बिलों का भुगतान पिछले माह का भुगतान पी.एफ, जी.एस.टी व इ.एस.आई. राशि जमा के चालान की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के पश्चात् ही अगले माह के बिल का भुगतान किया जावेगा।
 15. श्रमिक बीएसआर के बिन्दू संख्या-10 में सरकारी दरों पर कार्य करवाने पर यदि बिल में पी.एफ. व ई.एस.आई. राशि का पृथक से उल्लेख करने पर उक्त राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा। श्रमिक को भुगतान राजस्थान सरकार श्रम विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8(5)(6)न्यू.म.अभि./आई.आर./श्रम/2000/पार्ट/15340 दिनांक 30.07.2021 के अनुसार किया जावेगा। उक्त के संशोधन होने की स्थिति में नवीनतम संशोधित दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
 16. श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने की तिथि से 15 दिवस में Workmen Compensation Policy किसी इनश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर उसकी प्रति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी ताकि किसी दुर्घटना के कारित होने पर समस्त उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।

15. बीज के कट्टों की समस्त प्रकार की हैण्डलिंग के समय हुक का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बोरियों व कट्टों पर हुक का प्रयोग निषेध है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा 100 रु. के स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी उल्लेखित हो कि अवहेलना की स्थिति में जमा अमानत एवं धरोहर राशि जब्त कर डीबार करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी। अगर हुक का प्रयोग करने से कट्टों/बोरियों का या बीज का नुकसान होता है तो उस राशि का नुकसान ठेकेदार को वहन करना होगा।
16. किसी भी क्षति के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि ठेकेदार या उसके मजदूरों की गलती से निगम को कोई हानि पहुंचती है तो ठेकेदार के भुगतान में से राशि वसूल कर ली जायेगी।
17. ठेके के सभी कार्य निगम कार्यालय के प्रतिनिधि के निर्देशों के अनुसार करना होगा।
18. फसल की किस्म बदलने पर मशीन की सफाई ठेकेदार को करनी होगी।
19. टैग, लेबल एवं थैलियों पर मोहर लगाने के लिये एवं कट्टों पर मार्का लगाने के लिये ठेकेदार को पढ़े लिखे व्यक्ति रखने होंगे तथा सीजन अवधि में स्थाई व्यक्ति रखने होंगे। ठेकेदार द्वारा यह कार्य करवाने में असमर्थ होने पर निगम कार्यालय की ओर से उचित श्रमिक रखे जायेंगे जिसकी मजदूरी ठेकेदार को देनी होगी।
20. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं दिया जायेगा। बिल का भुगतान केवल 'एकाउन्ट पेई' चैक/ आर.टी.जी.एस द्वारा ही किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु मासिक बिल प्रस्तुत करना होगा।
21. श्रमिक ठेकेदार द्वारा बीजों के हैण्डलिंग का कार्य क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के अधीन समस्त परिसर, बीज विधायन केन्द्र, बीज विस्तार केन्द्र एवं बीज विक्रय केन्द्र इत्यादि तथा निगम द्वारा लिये गये किराये के गोदाम में निर्देशानुसार किया जायेगा।
22. निगम द्वारा ठेकेदार को विधायन कार्य शुरू होने से पूर्व कट्टों एवं थैलियों की सिलाई हेतु बैगक्लोजर उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा इस कार्य के लिये ठेकेदार द्वारा कुशल एवं अनुभवी श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।
23. फ्यूमीगेशन कार्य हेतु फ्यूमीगेशन कवर, स्प्रे, पम्प, दवाई, निगम द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा फ्यूमीगेशन कवर एवं अन्य उपकरण फ्यूमीगेशन के पश्चात् सही तरह से पैक करके रखने होंगे।
24. विधायन कार्य के समय संयंत्र परिसर में गोदामों की नियमित सफाई श्रमिक ठेकेदार करवायेगा एवं इस कार्य के लिए अलग से मजदूरी नहीं दी जावेगी तथापि शेष समयावधि में भी गोदामों एवं संयंत्र परिसर की नियमित साफ-सफाई की समस्त जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं इस कार्य हेतु प्रयुक्त वास्तविक मजदूरी बी.एस.आर. आईटम नं. 10 के अनुसार देय होगी।
25. गोदामों में राँ बीज स्टैक से उठाकर ले जाने के पश्चात् स्टैक स्थल पर पूर्ण सफाई कर बिखरा हुआ बीज बोरियों में भरकर ग्रेडिंग स्थल/निर्दिष्ट स्थान पर ठेकेदार द्वारा ही पहुँचाना होगा। इसके लिये ठेकेदार को अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। गोदामों में कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि गोदामों में बीज कम से कम बिखरे एवं गोदाम हमेशा साफ रहे।
26. तोल कांटों, बीज उपचारित मशीनों, बैग क्लोजर एवं अन्य मशीनों को साफ रखना व सम्पूर्ण कार्य समाप्ति पर निगम के बीज अधिकारी को संभलाकर रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा।
27. ठेकेदार द्वारा स्टैक लगाकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को उसी दिन गिनती करवानी होगी

28. ठेकेदार को आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पारी में विधायन एवं पैकिंग कार्य के लिये पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे ।
29. ठेकेदार द्वारा नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई. (यदि लागू हो) आदि की राशि संबंधित कार्यालय में जमा करवानी होगी जिसकी रसीद की प्रति संबंधित इकाई को प्रस्तुत करनी होगी ।
30. श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटनावश किसी श्रमिक को हुई समस्त प्रकार की शारीरिक क्षति कि स्थिति में क्षति पूर्ति का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदारों का होगा। अतः यह अपेक्षित है कि ठेकेदार योग्य श्रमिकों को ही कार्य पर लगावें।
31. ठेकेदार द्वारा संयंत्र के सुचारु संचालन एवं रख रखाव हेतु कुशल श्रमिक/आपरेटर/फोरमैन भी उपलब्ध कराना होगा जो कि प्लान्ट संचालन का कार्य दक्षता से कर सके । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर देय होगी ।
32. क्रॉप कलैण्डर (छायाप्रति संलग्न) अनुसार संयंत्र प्रभारी द्वारा आवंटित समस्त कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रति दिन 3000 रु० शास्ति भुगतान में से काटी जावेगी। यदि यह देरी अपरिहार्य कारणों से होती है जिसमें श्रमिक ठेकेदार का कोई दोष नहीं है ऐसी दशा में सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक कारणों के विवेचन के उपरान्त शास्ति माफ करने की अनुशंसा मुख्यालय को प्रेषित करेंगे एवं अंतिम निर्णय मुख्यालय द्वारा लिया जावेगा।
33. बीज विधायन के समस्त कार्यों के समय ठेकेदार अथवा उनका सुपरवाइजर पूर्णकालिक रूप से विधायन संयंत्र पर उपस्थित रह कर कार्य सम्पादित करवाएगा एवं इस हेतु अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
34. यदि इकाई की आवश्यकतानुसार राँ बीज लेने व क्रय करने हेतु केंद्र खोले जाते हैं, तो इन केंद्रों के लिए संबंधित ठेकेदार को संबंधित इकाई को अनुमोदित दर पर ही श्रमिक उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
36. यदि राँ बीज केम्प लगाकर बाहर उत्पादन क्षेत्र से विधायन केन्द्र तक ले जाना है तो श्रमिक ठेकेदार को आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे।
37. निगम परिसर के बाहर स्थित किरायें के गोदाम से बीज अथवा अन्य सामग्री निगम परिसर में लाने अथवा ले जाने की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार को संबंधित इकाई हेतु स्थानीय परिवहन के लिये अनुमोदित दर से परिवहन कार्य का भुगतान किया जावेगा एवं श्रमिक कार्यों हेतु उपरोक्त वर्णित दरों के अनुसार भुगतान देय होगा। स्थानीय परिवहन हेतु अनुमोदित दर में श्रमिक ठेकेदार की अनुमोदित दर के अनुसार प्रतिशत अधिक अथवा कम प्रभावी नहीं होगा।
38. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
39. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का वापस लौटाना :- सप्लायर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति संतोषप्रद सप्लाइ पूर्ण होने/ अनुबन्ध समाप्त होने पर बिना ब्याज वापस लौटा दी जावेगी।
40. रिस्क एण्ड कॉस्ट परचेज :-
(i) सप्लायर अनुबन्ध के अनुसार श्रमिक कार्य करने में विफल रहता है तो, उपापन संस्था द्वारा आवश्यकता होने पर, सप्लायर की रिस्क एवं कॉस्ट पर श्रमिक कार्य कराया जा सकेगा। यदि ऐसा कार्य करने से उपापन संस्था को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है तो उसकी सम्पूर्ण वसूली सप्लायर से की जायेगी।

(ii) उपापन संस्था के पास सप्लायर की कोई राशि जमा नही होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली RTPP अधिनियम की धारा 53 या अन्य कानूनों के तहत की जा सकेगी।

41. बोली प्रस्तुत करने के बाद या अनुबन्ध अवधि में सप्लायर को अन्य किसी संस्था द्वारा डीबार किया जाना :-

- (i) यदि किसी बोलीदाता को बिड प्रस्तुत करने के पश्चात् या निविदा स्वीकृति पश्चात् किसी संस्था द्वारा डीबार/ब्लैक लिस्ट/बैन किया जाता है तो बोलीदाता द्वारा डीबार किये जाने के 15 दिवस में उपापन संस्था को सूचित करेगा।
- (ii) उपापन संस्था की जानकारी में आता है कि सफल बोलीदाता को किसी संस्था द्वारा डीबार/ब्लैक लिस्ट/बैन कर दिया गया है तो आगे कोई कार्य नहीं कराया जायेगा एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।

42. अनुबन्ध को निरस्त किया जाना :- उपापन संस्था द्वारा निम्न मामलों में सम्पूर्ण अनुबन्ध या उसके किसी भाग को निरस्त (टरमीनेशन) किया जा सकेगा:-

- (i) बोलीदाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तों/इन अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन करने पर; या
- (ii) सप्लायर द्वारा सम्पूर्ण श्रमिक कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने में विफल रहने पर; या
- (iii) सप्लायर द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन करने पर; या
- (iv) उपापन संस्था किसी भी समय यह पाती है कि सप्लायर दिवालिया हो गया हो; या
- (v) अनुबन्ध निरस्त करने वाले नोटिस में अनुबन्ध जिस दिनांक से समाप्त किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जायेगा।

नोट:- उपापन संस्था द्वारा किसी भी अनुबन्ध को निरस्त करने से पूर्व सप्लायर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त समय पर नोटिस दिया जायेगा।

43. बोलीदाता/सप्लायर को डीबार किया जाना :- उपापन संस्था द्वारा किसी भी बोलीदाता/सप्लायर को निम्नलिखित मामलों में धारा 46 के तहत अधिकतम 3 वर्ष के लिए डीबार किया जा सकेगा :-

- (i) जब बोलीदाता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या
- (ii) जब बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादित नहीं करता है; या
- (iii) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ करने में विफल रहता है; या

- (iv) जब बोलीदाता कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में श्रमिक कार्य संतोषप्रद रूप से करने में विफल रहता है; या
- (v) जब बोलीदाता अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (vi) जब बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया गया हो; या
- (vii) निविदादाता द्वारा झुठे, जाली या मनगढ़ंत दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं; या
- (viii) निविदा स्वीकृत कराने/कार्यादेश प्राप्त करने के इरादे से तथ्यों को छिपाता है; या
- (ix) सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध पत्र (Agreement) निष्पादित करने के बाद अनुबन्ध के नियम और शर्तों की प्रतिवद्धताओं को पूर्ण करने में असफल होने पर।
- नोट:—उपापन संस्था द्वारा किसी बोली लगाने वाले/सप्लायर को धारा 46 क अधीन डीबार करने से पूर्व उसे सुनने का युक्तियुक्त (पर्याप्त) अवसर दिया जायेगा।

44. न्यायिक क्षेत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय का जिला होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

अनुभाग-3

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

जयपुर।

विषय:- श्रमिक ठेके क्षेत्रीय कार्यालय.....हेतु निविदा वर्ष 2022-23-2023-24

महोदय,

1. क्षेत्रीय कार्यालय का नाम, जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है.....
2. यदि आवेदनकर्ता एकाकी स्वामी (सोल प्रोपरईटर है तो स्वामी का नाम (पिता के नाम सहित).
3. यदि आवेदनकर्ता अविभक्त हिन्दु परिवार है तो परिवार के कर्ता का नाम
4. निविदा दाता का नाम
5. पूर्ण पता
6. टेलीफोन नम्बर निवास.....मोबाइल न0.....
7. निविदा शुल्क ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि
8. बैंक का नाम.....
9. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि
10. बैंक का नाम.....
11. बिड सिक््योरिटी का विवरण ड्राफ्ट संख्यादिनांकराशि
12. बैंक का नाम.....
13. लेखों के अनुसार फर्म का टर्न ओवर
14. विगत तीन वर्ष की ITR की प्रतियाँ.....
15. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर
16. भविष्य निधि विभाग कोड क्रमांक
17. राज्य बीमा पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या.....
18. पेन नम्बर

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी नियम व शर्तों एवं निर्धारित बी.एस.आर. का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
पूर्ण पता एवं सील

अनुभाग-3 (1)

तकनीकी निविदा हेतु प्रपत्र

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

जयपुर।

1. बिड सिक्योरिटी, निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (ड्राफ्ट संलग्न).....
2. श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के धारा-12 (1)/ 12 (2) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें
3. भविष्य निधि विभाग में पंजीयन, GST रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, पैन, ई.एस.आई. पंजीयन (यदि लागू हो) प्रमाण-पत्र संलग्न करें
4. बोलीदाता का औसत वार्षिक कारोबार (Average annual turnover) (Annexure-F) एनआईटी के कॉलम 7 में उल्लेखित के बराबर या अधिक होना चाहिए यदि फर्म का औसत टर्नओवर संबंधित मद के लिए एनआईटी के कॉलम 7 में उल्लेखित राशि से कम हो तो बोली जमा न करें।
5. निविदा के साथ गत 3 वर्षों की आई.टी.आर. की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा। (Annexure F) के अनुसार संलग्न करे
6. 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा/डीबार/ काली सूचिबद्ध नहीं है।
7. निविदादाता को विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बीज विधायन कार्य अथवा लोडिंग-अनलोडिंग कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र जिसकी राशि निविदा की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

- f. f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

64

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of
..... in response to their Notice Inviting Bids No.....
Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or to have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. That our firm is not involved in any litigation with any state/central govt. deptt./public undertaking etc.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is A.C.S. /P.S.A. Department of Agriculture Government of Rajasthan

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secetary finance (Budget) department , Government of Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under pars (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in pars (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under pars (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

4/11

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof
Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of

the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented

by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....
.....
.....

Supported by an Affidavit)

Prayer:

7.

.....
.....

Place

Date.....

Appellant's Signature

211

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fiftypercent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

51

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation

Address:

49/12

Declaration and Undertaking
(on non-judicial stamp paper of Rs.100/-)

I (Name and complete address) _____ Sole Proprietor
/ authorised signatory of the firm (Name and complete address) _____ do hereby
solemnly affirm and declare that the individual/ firm/ company is not
blacklisted/banned/debarred on any ground by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan or
its departments in last three years from date of bid submission.

(Name of Deponent & Signature)

Verification

I S/o (Designation)
..... Affirm on oath that the contents/information as mentioned above, are true
& correct to the best of my knowledge and nothing is hidden. I also declare on oath that if any
information furnished by me as above is found wrong, forged or fabricated the Corporation
will be at liberty to cancel the Bid for which I shall be solely responsible and the firm may be
Debarred/Banned/blacklisted/prosecuted for the same.

(Name of Deponent & Signature)

4/2

Annual Turn-over Statement

The annual turnover of M/s.
address..... for the past three years are as given below and
certified that the statement is true and correct.

| S.No. | Year | Gross Turnover in Rs. Lakh |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 2018-19 | |
| 2 | 2019-20 | |
| 3 | 2020-21 | |
| | Total: | Rs. Lakh |
| Average gross annual turnover | | Rs. Lakh |

Date:

Signature of Chartered Accountant

Place:

With Name, Address & Seal

नोट :- यदि फर्म के वर्ष 2021-22 के लेखें (बैलेन्सशीट) फाईनल हो चुके हैं तो वर्ष 2021-22 का टर्नओवर स्वीकार किया जा सकेगा।

खण्ड-4
अनुबंध-पत्र

यह अनुबन्ध (दिन) (दिनांक) को राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत गठित राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है एवं इसके पंजीकृत कार्यालय का पता पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर है एवं (क्षेत्रीय कार्यालय) जिसका पता हैं। (प्रथम पक्षकार जिसे निगम कहकर संबोधित किया जा सकेगा एवं इसके समस्त अधिकृत अधिकारी सम्मिलित हैं) एवं (द्वितीय पक्ष मैसर्स फर्म का नाम एवं पूर्ण पता मय ई-मेल) (जिन्हें भविष्य में श्रमिक ठेकेदार कहकर संबोधित किया जा सकेगा, जिसमें उसके समस्त उत्तराधिकारी एवं अधिकृत प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।) के मध्य किया जाता है।

यह कि निगम द्वारा अपने श्रमिक कार्यों की आवश्यकता के लिये निविदा क्रमांक आमंत्रित की गई है। (जिसे क्रेता कहा जायेगा)

यह कि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निविदा में सफलता के उपरांत निगम द्वारा कार्य आदेश क्रमांक दिनांक के द्वारा (दर) पर कार्य करने के लिये सहमत है।

यह कि निगम एवं श्रमिक ठेकेदार द्वारा इस निविदा में शामिल किये गये समस्त दस्तोवजो निर्देशों एवं शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई है। श्रमिक निविदा की समस्त नियम एवं शर्तें अनुबन्ध का भाग होगी।

यह कि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निविदा की समस्त शर्तों, निर्देशों एवं दस्तावेजों के अनुसार अनुमोदित दरों पर कार्य करने की सहमति व्यक्त की जाती है।

श्रमिक ठेकेदार
की ओर से

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
की ओर से

साक्ष्य/गवाह

साक्ष्य/गवाह

1.

1.

2.

2.

4/11

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन
तकनीकी निविदा हेतु संलग्नकों की चैक लिस्ट

| क्र. सं. | आईटम | जमा करवाने की प्रक्रिया | |
|----------|--|--|-----|
| 1 | बिड सिक्योरिटी राशि, निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे एवं भौतिक रूप से निर्धारित तिथि एवं समय तक निगम मुख्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है। | { } |
| 2 | श्रम अधिनियम 1970 धारा-12 (1)/ 12 (2) के तहत पंजियन प्रमाण-पत्र | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 3. | यदि फर्म साझेदार फर्म/कम्पनी है तो साझेदार प्रपत्र/कम्पनी MOA की प्रति एवं फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 4 | GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र । | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 5 | भविष्य निधि विभाग रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 6 | पैन नंबर। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 7. | ई.एस.आई. पंजीयन । | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 8. | औसत वार्षिक कारोबार (Average annual turnover) का प्रमाण-पत्र (Annexure-F) एवं विगत 3 वर्ष की आई.टी.आर. की प्रतियां। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 9. | 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (किसी विभाग/संस्था द्वारा डीबार नहीं है। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 10. | पूर्ण रूप से भरा हुआ निविदा प्रपत्र जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता की मोहर एवं हस्ताक्षर हो। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 11. | विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) में से किसी भी एक वर्ष में राजकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में बीज विधायन कार्य अथवा लोडिंग-अनलोडिंग कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है इस हेतु निविदा के साथ सम्बन्धित कार्यालय द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र (निविदा की अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत) संलग्न करें। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 12. | MSME प्रमाण-पत्र की छाया प्रति, यदि लागू हो। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 13. | निविदादाता फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी दस्तावेजों की छाया प्रति। | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 14. | बोली लगाने वालों सत्यनिष्ठ संहिता की अनुपालना एवं हित का विरोध नहीं होने का प्रपत्र (एनेक्जर-A) | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 15. | बोलीदाता की अर्हता की घोषणा | www.eproc.rajasthan.gov.in | { } |

LLK

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| | (एनेकजर-B) | पर अपलोड करे। | |
| 16. | उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवरण प्रक्रिया (एनेकजर-C) | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |
| 17. | अनुबन्ध की अतिरिक्त शर्तें (एनेकजर-D) | www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करे। | { } |

नोट:- उपरोक्तानुसार दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

हस्ताक्षर मय सील निविदादाता
नाम :
पूरा पता :

42

भाग-ब

4/4

श्रमिक कार्यों हेतु निर्धारित दर (वर्ष 2022)

| कं. सं. | कार्य का नाम | युनिट (प्रति) | निर्धारित दर (वर्ष 2022) |
|---------|--|---------------|--------------------------|
| 1. | रॉ बीज का हैण्डलिंग :- | | |
| | बीज उत्पादकों से प्राप्त रॉ बीज को निगम परिसर में ट्रक/ट्रोल्ली से अनलोड करना, निर्दिष्ट स्थान पर क्रेट बिछाना, बोरियों को क्रेट पर स्टेक में जमाना, बोरिया पर लोट नं. लिखना इत्यादि कार्य | | |
| | (अ) तलपट बनाकर बिना छलना लगाएँ | क्विंटल | 8.17 |
| | (ब) धर्म कांटे से तौलकर बिना छलना लगाएँ। | क्विंटल | 7.43 |
| | (स) तौलकर एवं पंखा-छलना लगाकर पुनः बोरियों में भरकर सिलाई करना (तलपट) | क्विंटल | 14.85 |
| 2. | विधायन एवं पैकिंग कार्य :- | | |
| | (अ) रॉ बीज की बोरियों को निगम परिसर में स्थित किसी भी गोदाम से लॉट नम्बर वाइज उठाना, विधायन मशीन पर लाना, मशीन से बीज को विधायन करना, विधायित बीज को 20, 30, 40 व 60 किग्रा. कट्टो/बोरियों में पैक करना, आवश्यकता पड़ने पर दवाई की पुड़िया तैयार कर कट्टो/बोरियों में डालना, टैग/लेबल तैयार करना व बोरियों/कट्टो पर सिलाई करना, सील लगाना तैयार बीज की बोरियों/कट्टो को प्लान्ट परिधि में स्थित किसी भी गोदाम में निर्दिष्ट स्थान पर क्रेट बिछाकर स्टेक लगाना, खाली बोरियों/कट्टों के 50-50 के बण्डल बनाना तथा प्लान्ट पर निर्दिष्ट स्थान पर रखना। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायन के लिये बीज को विधायित बीज तथा अण्डर साईज को पुनः गोदाम में ले जाने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन अलग से देय नहीं होगा। रॉ बीज का स्टेक उठाने के बाद क्रेट्स को निर्दिष्ट स्थान पर रखना व बिखरे बीज को बोरियों में भरकर उस स्थान एवं मशीन की सफाई करना सम्मिलित है। | क्विंटल | 26.73 |
| | (ब) बीज पुनः विधायन एवं पैकिंग कार्य : बीजों के कट्टों/बोरियों को पुनः विधायन हेतु निगम परिसर में स्थित गोदाम से हटाकर विधायन मशीन पर लाना, मुंह खोलना, टैग हटाना, दवाई की पुड़िया निकालना तथा शेष कार्य 2 'अ' के अनुसार | क्विंटल | 26.73 |
| | (स) निगम परिसर में स्थित गोदाम से सोयबीन रॉ बीज की बोरियों को लॉट वाइज उठाना, बोरी का मुंह खोलकर सीधे ही मजदूरों की सहायता से विधायन मशीन/ फीडर में डालना तथा शेष कार्य 2 अ के अनुसार। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर कट्टों में दवाई की पुड़िया बनाकर कट्टों में रखने का कार्य सम्मिलित है। | क्विंटल | 26.73 |
| | (द) बिन्दु सं० 2 'अ' में यदि बीज 60 किग्रा (अथवा निर्देशित अन्य मात्रा) की बल्क पैकिंग में रखा जाता है तो निम्नानुसार दरें होगी : (यदि बल्क पैकिंग में पुराने बारदाने का उपयोग किये जाने पर पुराने बारदाने को पलट कर बीज पैक करावने की स्थिति में प्रचलित दरों में एक रुपया प्रति क्वि. अधिक दिया जावेगा।) | प्रति क्विंटल | 19.31 |

| | | | |
|----|--|----------|-------|
| 3. | बीज पैकिंग कार्य :- | | |
| | बीज पैकिंग के लिये निगम परिसर में स्थित गोदाम से कट्टों को लॉटवाईज उठाकर पैकिंग स्थल पर लाना, त्रिपाल बिछाकर ढेरी करना, थैलियों/कट्टों पर बीज प्रमाणीकरण की सूचना की मार्किंग करना, बीज भरना, तौलना, पपलेट डालना टैग/लैबल तैयार करना व थैलियों/कट्टों पर लगाकर सिलाई करना, सील लगाना, लैड सीड को धागों में पिरोकर गॉठ लगाकर प्लायर से दबाना, थैलियों को पुनः बोरियों/कट्टों में भरना गोदाम में लॉट वाईज, क्रेट बिछाकर स्टेक लगाना, खाली कट्टों/बोरियों के 50-50 के बंडल बनाना तथा प्लान्ट पर निर्दिष्ट स्थान पर रखना। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि बोरियों/कट्टों को गोदाम में स्टेक करने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग/परिवहन देय नहीं होगा। पैकिंग से पूर्व स्टेक हटाने पर एवं पैकिंग के बाद सफाई कर बिखरे बीज को भरकर तौलकर निर्दिष्ट स्थान पर रखना एवं क्रेट्स को निर्दिष्ट स्थान पर रखना सम्मिलित है। अथवा मिनिकिट्स/प्रदर्शन के लिये किट्स तैयार करने हेतु निगम परिसर में स्थित गोदाम से बीज की बोरियों/कट्टों को लॉटवाईज उठाकर पैकिंग स्थल पर लाना, थैलियों/कट्टों/बोरियों से टैग/लेबल हटाना, सिलाई खोलना, सील हटाना। | | |
| | (अ) दवाई का धोल बनाकर बीज को उपचारित करके अथवा बिना बीज उपचार के परन्तु दवाई की पुडिया बनाकर थैलियों/कट्टों में रखने का कार्य सम्मिलित है। | | |
| | 1. 1 किग्रा तक | किंवटल | 59.40 |
| | 2. 1 किग्रा. से अधिक 3 किग्रा. तक | किंवटल | 51.98 |
| | 3. 3 किग्रा. से अधिक 6 किग्रा. तक | किंवटल | 44.55 |
| | 4. 6 किग्रा. से अधिक 20 किग्रा. तक | किंवटल | 29.70 |
| | 5. 20 किग्रा. से अधिक | किंवटल | 14.85 |
| | (ब) ग्रेडेड बीज कट्टों/बोरियों को स्टेक से लॉटवाईज उतारकर उन पर टैग लेबल तैयार कर सिलाई करना, लैड सील लगाना एवं वापस निर्देशित स्थान पर निगम परिसर में स्थित गोदाम में स्टेक लगाना। गोदाम में स्टेक करने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग परिवहन देय नहीं होगा। | किंवटल | 8.91 |
| 4. | निगम परिसर में स्थित एक गोदाम से दूसरे गोदाम में राँ बीज की बोरियाँ/पैकड थैलियों की बोरियों/कट्टों को लॉटवाईज उठाकर क्रेट बिछाकर स्टेक लगाना। इस आइटम में जगह के अभाव में या अन्य कारणवश बोरियों/कट्टों को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या उसी गोदाम में शिफ्ट करने का कार्य शामिल है। विधायन के लिये अथवा विधायन के पश्चात बोरियों के स्थानान्तरण का कार्य उसमें शामिल नहीं है। स्टेक हटाने के बाद एवं लगाने से पूर्व उस स्थान की सफाई कार्य सम्मिलित है, मय लोडिंग अनलोडिंग। | | |
| | (अ) एक गोदाम के अंदर | किंवटल | 3.30 |
| | (ब) परिसर में स्थित एक गोदाम से दूसरे गोदाम में | किंवटल | 7.70 |
| 5. | बुडन/स्टील क्रेट्स का एक गोदाम से दूसरे गोदाम में शिफ्टिंग का कार्य | प्रति नग | 2.97 |
| 6. | निगम परिसर में स्थित गोदाम में बाहर से प्राप्त विधायन सामग्री की लोडिंग/अनलोडिंग करना या प्लान्ट से बाहर भेजने हेतु विधायन सामग्री की लोडिंग/अनलोडिंग करना एवं निर्देशित स्थान पर जमाके रखना | | |
| | 1. 25 किग्रा तक | प्रति नग | 2.97 |
| | 2. 26 से 50 किलो तक | प्रति नग | 5.20 |

| | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|
| | 3. 51 से 100 किलो तक | प्रति नग | 7.43 |
| | 4. 100 किग्रा से अधिक | प्रति नग | 14.85 |
| 7. | पुनः प्रमाणीकरण का विवरण :- | | |
| | 1. पुनः प्रमाणीकरण हेतु स्टेक तोड़कर, लॉटवाईज छॉटना गिनती करवाना, लॉटवाईज सैम्पल लेना, सैम्पल लेने के बाद लॉटवाईज पुनः स्टेक करना। | क्विंटल | 5.94 |
| | 2. (अ) पुनः प्रमाणीकरण हेतु पास मात्रा व फैल मात्रा को छॉटना, पास मात्रा के लॉटवाईज थैले भरना व थैलियों पर स्पष्ट प्रमाणीकरण मोहर लगाना, मोहर लगाने के पश्चात् बोरियों में भरना तथा कटों/ बोरियों को पुनः लॉटवाईज स्टेक लगाना। (10 किग्रा तक पैकिंग हेतु) फैल लॉट छॉटकर एवं टेग उतारकर संबंधित संयंत्र प्रबंधक को संभलाना होगा। | क्विंटल | 10.40 |
| | (ब) पुनः प्रमाणीकरण हेतु पास मात्रा व फैल मात्रा को छॉटना, पास मात्रा के लॉटवाईज थैले भरना व थैलियों पर स्पष्ट प्रमाणीकरण मोहर लगाना, मोहर लगाने के पश्चात् बोरियों में भरना तथा कटों/ बोरियों को पुनः लॉटवाईज स्टेक लगाना। फैल लॉट छॉटकर एवं टेग उतारकर संबंधित संयंत्र प्रबंधक को संभलाना होगा। (10 किग्रा से अधिक पैकिंग हेतु) | क्विंटल | 5.94 |
| 8. | बीजों के स्टेक पर फ्युमिगेशन कॅवर चढ़ाना, दवाई डालना, कॅवर को चारों तरफ से मिट्टी से दबाना एवं इसके बाद कॅवर को उतारना, सही समेटना, सही खोलना तथा गोदाम से मिट्टी की सफाई करना। आवश्यकतानुसार रेत की थैलिया तैयार करना का कार्य शामिल है। इसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा थैलिया एवं रेत निगम द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी | प्रति कवर | 275.00 |
| 9. | दवाई का धोल बनाना एवं गोदाम में स्प्रे करना। (न्यूनतम 200 रु. प्रति गोदाम देय होगा।) | प्रति वर्ग मी. | 0.37 |
| 10. | विधायन केन्द्र पर अन्य कार्यों हेतु अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल दैनिक श्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर उपलब्ध करवाना। | | सरकारी दर अनुसार |
| 11. | पैकड बीजों के कट्टों / बोरियों को ट्रक/ट्राली में लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य अथवा निगम गोदाम या अन्य किराये के गोदामों में रखे अण्डरसाईज बीज को उत्पादको की ट्राली/ट्रक में लोडिंग करना, साथ में सम्बन्धित बीज उत्पादको की खाली बोरियों के बण्डल भी लोड करना। | क्विंटल | 6.69 |
| 12. | आवश्यकता पड़ने पर बीज की पैकिंग पर विक्रय मूल्य या अन्य परियोजना की मोहर लगाना। | प्रति बेग/ थैली | 0.37 |
| 13. | अमानक बीजों की नीलामी के संबंध में | | |
| | (अ) पैकड बीज के कट्टों से टेग व लेबल उतारकर संयंत्र प्रबंधक को संभलवाना एवं कट्टों पर क्रॉस का निशान लगाकर देना। | क्वि. | 5.94 |
| | (ब) पैकड बीज के कट्टों को खोलकर, नीलामीयुक्त बीज को निविदादाता के बैगों में भरकर, वाहन में रखवाना। | क्वि. | 12.10 |
| 14. | मूंगफली बीज का विधायन एवं पैकिंग कार्य- | | |
| | (अ) रॉ बीज की बोरियों को प्लाण्ट परिधि में स्थित गोदाम से लॉटवाईज उठाना, मशीन/हाथ से बीज की ग्रेडिंग करना, 10 से 30 किग्रा. की पैकिंग में भरना, बैग्स पर मार्किंग करना, टैग/लेबल तैयार करना व बैग की सिलाई करना, सील लगाना तथा पुनः कट्टों/बोरियों को गोदाम में लॉटवाईज स्टेक लगाना। अण्डर साईज बीज को बोरियों में भरना, मार्किंग करना तथा लॉटवाईज निर्धारित स्थान पर स्टेक लगाना। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायन हेतु रॉ बीज को प्लाण्ट पर लाना एवं विधायित बीज एवं अण्डरसाईज को पुनः गोदाम में स्टेक लगाने के लिए अलग से लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन देय नहीं होगा। | | |

| | | |
|---|---------|--------|
| 1. मशीन से ग्रेडिंग व हैण्ड पिकिंग | क्विंटल | 74.25 |
| 2. हाथ से ग्रेडिंग | क्विंटल | 118.80 |
| (ब) मूँगफली प्रमाणित एवं आधार सीड्स का परिणाम आने के पश्चात निश्चित पैकिंग 10-20-30 किलों को करना, दवाई की पुड़िया व लीफ लैटस डालना, टैग व लेबल तैयार करना, सिलाई करवाना, लैड सील लगाना, मार्का लगाना, तथा स्टैग लगाना व गिनती कराना। | क्विंटल | 29.70 |

नोट:

- वे समस्त कार्य जिनके लिये पृथक से दर निर्धारित नहीं है उन कार्यों को श्रमिक ठेकेदार के माध्यम से बिंदु सं.10 के अनुसार श्रमिक लेकर पूर्ण किया जावेगा।
- आइटम क्रमांक 8, 9 एवं 10 में निर्धारित दरों से ही भुगतान होगा एवं निविदा में अनुमोदित प्रतिशत अधिक अथवा कम की दर इन बिन्दुओं पर प्रभावी नहीं होगी।
- निगम परिसर के बाहर स्थित किरायें के गोदाम से बीज अथवा अन्य सामग्री निगम परिसर में लाने अथवा ले जाने की स्थिति में श्रमिक ठेकेदार को संबंधित इकाई हेतु स्थानीय परिवहन के लिये अनुमोदित दर से परिवहन कार्य का भुगतान किया जावेगा एवं श्रमिक कार्यों हेतु उपरोक्त वर्णित दरों के अनुसार भुगतान देय होगा। स्थानीय परिवहन हेतु अनुमोदित दर में श्रमिक ठेकेदार की अनुमोदित दर के अनुसार प्रतिशत अधिक अथवा कम प्रभावी नहीं होगा।

भाग-स

५५

इकाईयों के नाम व पते:-

| क्र.सं | इकाई का नाम | पता | एस.टी.डी.कोड एवं फोन नं. | मोबाईल नं. |
|--------|--|--|------------------------------|--|
| | मुख्यालय | राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर | 0141-2227514 0141-2227944 | 9784100015 M.D) 9414467050 G.M) |
| 1 | क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. दुर्गापरा, जयपुर, 0141-2550814, 9414676992 (RM) | | | |
| 1 | तबीजी (अजमेर) | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. तबीजी (अजमेर) | 0145-2440830 | 9928776401 |
| 2 | घस्सू का बांस (सीकर) | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. घस्सू का बांस, तह. लक्ष्मणगढ़ जिला (सीकर) | 01572-232001 | 9001571842 |
| 3 | ढिंडोल (बस्सी) | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. तह. बस्सी, जिला-जयपुर (राज.) | | 9414922500 |
| 4 | दूनी | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. दूनी, टोंक | 01434-235263 | 9649353102 |
| 2 | क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. करनी रोड़, श्रीगंगानगर 0154-2440070 9784263972 (RM) | | | |
| 1 | श्रीगंगानगर | संयंत्र प्रबंधक कार्यालय, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. करनी रोड़, श्रीगंगानगर | - | 8239175591 |
| 2 | हनुमानगढ़ | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. रावतसर रोड़, हनुमानगढ़ टाऊन | 01552-230407 | 8005692405 |
| 3 | सूरतगढ़ | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. औद्योगिक क्षेत्र, सूरतगढ़ | 01509-220206 | 9587490945 |
| 4 | श्रीकरणपुर | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. करणपुर | 01501-227608 | 9982688982 |
| 3 | क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कारखाना बाग, पुलिस लाईन, कोटा 0744-2326736 9414335008 (RM) | | | |
| 1 | कोटा | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कारखाना बाग, पुलिस लाईन, कोटा | | 9799386001 (PM) |
| 2 | बारां | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. बारां | 07453-230632 | 9413385329 9660648328 |
| 3 | झालावाड़ | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. उद्यान विभाग नर्सरी, झालावाड़ | 07432-211205 | 9413385332 9887022360 |
| 4 | कोटा (बीज विस्तार केन्द्र) | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. सुल्तानपुर कोटा | | 9799386001 (PM) |

41

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पास, मण्डोर, जोधपुर 0291-2570692 9414474576 (RM) | | |
| 1 | मण्डौर (जोधपुर) | संयंत्र प्रबंधक कार्यालय, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पास, मण्डोर, जोधपुर | 9829373111 (PM) |
| 2 | मोहनगढ़ | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. वेयर हाऊस, मोहनगढ़, जैसलमेर | 02997-200571 9829373111 |
| 3 | सुमेरपुर | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. सुमेरपुर | 02933-258326 9460105806 |
| 4 | नागौर | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. इंडस्ट्रियल एरिया, बालवा रोड़ नागौर | 01582-290077 9782815645 |
| 5 | बीज विस्तार केन्द्र, गुढामालनी, बाड़मेर | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. गुढामालनी बाड़मेर | 9829373111 (PM) |
| 5 | क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. जी-44/45, बृज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर 05644-223792 9413385320 (RM) | | |
| 1 | भरतपुर | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. जी-44/45, बृज औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर | 9461100588 (PM) |
| 2 | अलवर | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. नया बास, अलवर | 0144-2701913 7619788906 |
| 3 | हिंडौन | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. ग्राम पोस्ट-क्यारदा खुर्द, हिंडौन, करौली | 07469-230333 8302588235 |
| 4 | बांसूर (बीज विस्तार केन्द्र) अलवर | | 7619788906 |
| 6 | क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. न्यू मंडी यार्ड गोदाम, उदयपुर 0294-2584687 9413385321 (RM) | | |
| 1 | उदयपुर | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. न्यू मंडी यार्ड गोदाम, उदयपुर | 7014277582 (PM) |
| 2 | चित्तौड़गढ़ | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. निंबाहेड रोड़, चित्तौड़गढ़ | 01472-241012 9829531933 |
| 3 | भीलवाड़ा | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कृषि अनुसंधान केंद्र के पास, भीलवाड़ा | 01482-264684 8890864141 |
| 4 | बांसवाड़ा | संयंत्र प्रबंधक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि. कृषि उपज मंडी, ठीकरिया, बांसवाड़ा | 02962-257045 9413385325 9001007215 |